



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082024-256007
CG-DL-E-02082024-256007

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 432]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 2, 2024/ श्रावण 11, 1946

No. 432]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 2, 2024/ SHRAVANA 11, 1946

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2024

सा.का.नि. 471(अ).—केंद्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 14 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 2 अगस्त, 2024 को उस तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, जिस तारीख से उक्त अधिनियम की धारा 14 की उपधारा (3) के प्रावधान, नीचे उल्लिखित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के विश्वविद्यालयों पर लागू होंगे, जो इसके अंतर्गत स्वायत्त/वैधानिक/कॉर्पोरेट निकाय हैं, और उक्त प्रयोजन के लिए, भारत सरकार की कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 730(अ), तारीख 2 मई, 1986 के तहत प्रकाशित अधिसूचना में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम संख्या 219 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएँ और प्रविष्टियां अन्तर्स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

1.	2.	3.
“220.	शेर-ए-कश्मीर चिकित्सा विज्ञान संस्थान	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत स्वायत्त निकाय
221.	कश्मीर विश्वविद्यालय	केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत वैधानिक निकाय

222.	जम्मू विश्वविद्यालय	केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत वैधानिक निकाय
223.	क्लस्टर विश्वविद्यालय, श्रीनगर	केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत वैधानिक निकाय
224.	क्लस्टर विश्वविद्यालय, जम्मू	केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत वैधानिक निकाय
225.	कश्मीर का शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत वैधानिक निकाय
226.	जम्मू का शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत वैधानिक निकाय
227.	बाबा गुलाम शाह बादशाह विश्वविद्यालय	केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत वैधानिक निकाय
228.	श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय	केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत वैधानिक निकाय
229.	इस्लामिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के अंतर्गत वैधानिक निकाय”।

[फा. सं. पी-13030/1/2022-एटी]

सोम दत्त शर्मा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र में संख्यांक सा.का.नि. 730 (अ), तारीख 2 मई 1986 द्वारा प्रकाशित की गई थी और निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांकों द्वारा संशोधित की गई थी, अर्थात् :-

- (i) सा.का.नि. 1172(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 1986;
- (ii) सा.का.नि. 84(अ), तारीख 6 फरवरी, 1987;
- (iii) सा.का.नि. 409(अ), तारीख 20 अप्रैल, 1987;
- (iv) सा.का.नि. 542(अ), तारीख 11 जुलाई, 1995;
- (v) सा.का.नि. 748(अ), तारीख 17 दिसंबर, 1998;
- (vi) सा.का.नि. 8(अ), तारीख 4 जनवरी, 2002;
- (vii) सा.का.नि. 499(अ), तारीख 23 अगस्त, 2006;
- (viii) का.आ. 1228(अ), तारीख 25 जुलाई, 2007;
- (ix) का.आ. 1823(अ), तारीख 25 अक्टूबर, 2007;
- (x) का.आ. 906(अ), तारीख 22 अप्रैल, 2008;
- (xi) का.आ. 2580(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2008;
- (xii) का.आ. 2824(अ), तारीख 1 दिसंबर, 2008;
- (xiii) का.आ. 727(अ), तारीख 31 मार्च, 2010;
- (xiv) का.आ. 2411(अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2010;

- (xv) का.आ. 958(अ), तारीख, 12 अप्रैल, 2013;
- (xvi) का.आ. 2617(अ), तारीख, 27 अगस्त, 2013;
- (xvii) का.आ. 1258(अ), तारीख 9 मई, 2014;
- (xviii) का.आ. 3107(अ), तारीख, 17 नवंबर, 2015;
- (xix) का.आ. 1968(अ), तारीख 22 जून, 2017;
- (xx) का.आ. 3434(अ), तारीख 27 अक्टूबर, 2017;
- (xxi) सा.का.नि. 432(अ), तारीख 8 जून, 2022; तथा
- (xxii) सा.का.नि. 830(अ), तारीख 21 नवंबर, 2022।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd August, 2024

G.S. R. 471(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 14 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby specifies the 02nd August, 2024 as the date on and from which the provisions of sub-section (3) of section 14 of the said Act shall apply to the following Universities of Union territory of Jammu and Kashmir, being autonomous/ statutory/ corporate body under it and for the said purpose, makes following further amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions (Department of Personnel and Training) published *vide* number G.S.R.730(E), dated 2nd May, 1986, namely:-

2. In the said notification, in the Schedule, after serial number 219 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:-

1.

2.

3.

“220.	Sher-I-Kashmir Institute of Medical Sciences	Autonomous body under the Union territory of Jammu and Kashmir
221.	University of Kashmir	Statutory body under the Union territory of Jammu and Kashmir
222.	University of Jammu	Statutory body under the Union territory of Jammu and Kashmir
223.	Cluster University, Srinagar	Statutory body under the Union territory of Jammu and Kashmir
224.	Cluster University, Jammu	Statutory body under the Union territory of Jammu and Kashmir
225.	Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Kashmir	Statutory body under the Union territory of Jammu and Kashmir
226.	Sher-e-Kashmir University of Agricultural Sciences and Technology of Jammu	Statutory body under the Union territory of Jammu and Kashmir
227.	Baba Ghulam Shah Badshah University	Statutory body under the Union territory of Jammu and Kashmir

228.	Shri Mata Vaishno Devi University	Statutory body under the Union territory of Jammu and Kashmir
229.	Islamic University of Science and Technology	Statutory body under the Union territory of Jammu and Kashmir”.

[F. No. P-13030/1/2022-AT]

SOM DUTT SHARMA, Jt. Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India *vide* number G.S.R. 730 (E), dated 2nd May, 1986 and subsequently amended *vide* following notifications numbers, namely:

- (i) G.S.R. 1172 (E), dated 31st October, 1986;
- (ii) G.S.R. 84 (E), dated 6th February, 1987;
- (iii) G.S.R. 409 (E), dated 20th April, 1987;
- (iv) G.S.R. 542 (E), dated 11th July, 1995;
- (v) G.S.R. 748 (E), dated 17th December, 1998;
- (vi) G.S.R. 8 (E), dated 4th January, 2002;
- (vii) G.S.R. 499 (E), dated 23rd August, 2006;
- (viii) S.O. 1228 (E), dated 25th July, 2007;
- (ix) S.O. 1823 (E), dated 25th October, 2007;
- (x) S.O. 906 (E), dated 22nd April, 2008;
- (xi) S.O. 2580 (E), dated 31st October, 2008;
- (xii) S.O. 2824 (E), dated 1st December, 2008;
- (xiii) S.O. 727 (E), dated 31st March, 2010;
- (xiv) S.O. 2411(E), dated 4th October, 2010;
- (xv) S.O. 958(E), dated 12th April, 2013;
- (xvi) S.O. 2617(E), dated 27th August, 2013;
- (xvii) S.O. 1258(E), dated 9th May, 2014;
- (xviii) S.O. 3107(E), dated 17th November, 2015;
- (xix) S.O. 1968(E), dated 22nd June, 2017;
- (xx) S.O. 3434(E) dated 27th October, 2017;
- (xxi) G.S.R. 432(E) dated 08th June, 2022; and
- (xxii) G.S.R 830 (E) dated 21st November, 2022.